



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-पं0नि0 30-07/2025 4083
प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
सेवा में,
जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
औरंगाबाद।

पटना, दिनांक- 21/10/25

विषय:- प्रखंड रफीगंज के प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1835 दिनांक 10.10.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से आयोग को प्रखंड रफीगंज के प्रमुख को पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 12501 दिनांक 06.10.2025 द्वारा पदच्युत किये जाने के फलस्वरूप पद रिक्त होने की सूचना दी गई है एवं उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के अधीन प्रखंड रफीगंज के प्रमुख के रिक्त पद पर दिनांक 07.11.2025 को निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।

3. कृपया प्रखंड प्रमुख के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि प्रमुख के निर्वाचन हेतु दिनांक 30.10.2025 तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित प्रमुख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक 28.10.2025 के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को भी दी जा रही है।

5. प्रमुख के निर्वाचन की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडियोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 एवं गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि प्रमुख के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक पं0नि0 30-07/2025 4083

पटना, दिनांक - 21/10/25

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया एवं पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

21/10/25